CONTENTS

Sixteenth Series, Vol. XXXI, Fourteenth Session, 2018/1940 (Saka)
No. 22, Friday, March 23, 2018/Chaitra 02, 1940 (Saka)

SUBJECT	PAGES
REFERENCE BY THE SPEAKER	
Homage to martyrs of Freedom Movement	6
ORAL ANSWER TO QUESTION	
Starred Question No. 401	8-11
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 402 to 420	12-71
Unstarred Question Nos. 4601 to 4830	72-549

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER

Appointment of Parliamentary Pay Committee 550-552

PAPERS LAID ON THE TABLE 553-560, 574

STATEMENTS BY MINISTERS 561-565

(i) (a) Status of implementation of the recommendations contained in the 3rd Report of the Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2014-15), pertaining to the Ministry of Panchayati Raj 561

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 24th Report of the Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2016-17), pertaining to the Ministry of Panchayati Raj 562

(c) Status of implementation of the recommendations contained in the 34th Report of the Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Ministry of Panchayati Raj

Shri Parshottam Rupala 563

(ii) (a) Status of implementation of the recommendations contained in the 10th Report of the Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2014-15), pertaining to the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development 564

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 18th Report of the Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development

Shri Ram Kripal Yadav 565

BUSINESS OF THE HOUSE 566-573

OBSERVATION BY THE SPEAKER

Notices of Motion of No Confidence 575

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER

Cancellation of Sitting of The House 576

<u>ANNEXURE – I</u>

Member-wise Index to Starred Questions 577

Member-wise Index to Unstarred Questions 578-583

<u>ANNEXURE – II</u>

Ministry-wise Index to Starred Questions 584

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 585

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

Shri Kalraj Mishra

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, March 23, 2018/Chaitra 02, 1940 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Kharge Ji, one minute please.

11 01 hrs

REFERENCE BY THE SPEAKER

Homage to martyrs of Freedom Movement

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, 23 मार्च, 1931 को सर्वश्री भगत सिंह, शिवराम हरि राजगुरु और सुखदेव थापर हमारे देश को विदेशी शासन के बंधनों से मुक्त कराने के लिए शहीद हुए थे। इन अमर शहीदों की वीरता, शौर्य और देशभक्ति हम सबके लिए सदा प्रेरणा का स्रोत रहेगी।

इस अवसर पर हम शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव और उन सभी शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राण न्यौछावर किए। अब यह सभा हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में सम्मानस्वरूप कुछ देर मौन रहेगी।

11 02 hrs

(The Members then stood in silence for a short while)

… (*Interruptions*)

11 03 hrs

(*At this stage, Shrimati V. Sathyabama, Shri A.P. Jithender Reddy and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*)

11 03 ½ hrs

ORAL ANSWER TO QUESTION

HON. SPEAKER: Question No. 401. Hon. Member, Shri M. Murali Mohan.

… (*Interruptions*)

(Q. 401)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): महोदया, विवरण सदन के पटल पर रख दिया है। …(व्यवधान)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 1200 o' Clock.

11 04 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

12 00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock.

(Hon. Speaker *in the Chair*)

… (*Interruptions*)

12 0 ½ hrs

(*At this stage, Prof. A.S.R. Naik and Dr. K. Kamraj and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*)

… (*Interruptions*)

12 02 hrs

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER

Appointment of Parliamentary Pay Committee

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have to make an announcement about my own Secretariat today.

The Seventh Pay Commission has not made any recommendations in regard to the Secretariats of Rajya Sabha and Lok Sabha in view of the provisions of article 98 of the Constitution.

The Chairman, Rajya Sabha and I after mutual consultation and following the procedure in the past have decided to appoint a Committee of Parliament consisting of the following Members:

(1) Chairperson, Estimates Committee

(Dr. Murli Manohar Joshi)

(2) Chairperson, Public Accounts Committee

(Shri Mallikarjun Kharge)

(3) Chairperson, Standing Committee on Finance

(Dr. M. Veerappa Moily)

(4) Minister of Parliamentary Affairs

(Shri Ananth Kumar)

(5) Minister of Finance

(Shri Arun Jaitley)

(6) Member, Rajya Sabha

(Prof. Ram Gopal Yadav)

… (*Interruptions*)

The Chairperson, Estimates Committee, Dr. Murli Manohar Joshi will be the Chairperson of the Committee. The functions of the Committee shall be to advise the Chairman, Rajya Sabha and the Speaker, Lok Sabha on the changes that are considered desirable in the structure of scales of pay, allowances, leave, pensionary benefits and other amenities to the officers and all categories of employees of the Rajya Sabha and Lok Sabha Secretariats in the context of the decision of the Government of India on the recommendations of the 7th Central Pay Commission.

The Committee will make their recommendations to the Chairman, Rajya Sabha and Speaker, Lok Sabha as early as possible.

… (*Interruptions*)

12 04 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Academy of Ayurveda, New Delhi, for the year 2016-2017, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Academy of Ayurveda, New Delhi, for the year 2016-2017.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 8971/16/18]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Naturopathy, Pune, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Naturopathy, Pune, for the year 2016-2017.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 8972/16/18]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Morarji Desai National Institute of Yoga, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Morarji Desai National Institute of Yoga, New Delhi, for the year 2016-2017.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 8973/16/18]

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Homoeopathy, Kolkata, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Homoeopathy, Kolkata, for the year 2016-2017.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

[Placed in Library, See No. LT 8974/16/18]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (DR. MAHESH SHARMA): I beg to lay on the Table a copy of the Prevention of Cruelty to Animals (Care and Maintenance of Case Property Animals) Rules, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.495(E) published in Gazette of India dated 23rd May, 2017 under Section 38A of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 together with a corrigendum thereto published in Notification No. G.S.R.185(E) dated 26th February, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 8975/16/18]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण के बारे में समेकित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8976/16/18]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा०का०नि०200 (अ) जो 1 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा

जिसके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017 – सी०शु०में कतिपय संशोधन किए गए हैं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 8977/16/18]

(3) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 220(अ) जो 12 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय पदाभिहित प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "ओ-एसिड" के आयात पर 3 वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 8978/16/18]

(4) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -

(एक) केन्द्रीय माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2018 जो 7 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 204 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०का०नि० 205 (अ) जो 7 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जनवरी, 2018 की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 55 (अ) का निरसन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 8979/16/18]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक (जैविक खाद्य) विनियम, 2017 जो 2 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीपीबी/03/मानक/ एफएसएसएआई/2016 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8980/16/18]

(2) (एक) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8981/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): I beg to lay on the Table: -

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre (Institute of Economic Growth), Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research Centre (Institute of Economic Growth), Delhi, for the year 2016-2017.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 8982/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OFCORPORATE AFFAIRS (SHRI P.P. CHAUDHARY): I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 241 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016:-

(1) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Grievance and Complaint Handling Procedure) Regulations, 2017 published in Notification No. IBBI/2017-18/GN/REG/21 in Gazette of India dated 7th December, 2017.

(2) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Fourth Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. IBBI/2017-18/GN/REG/22 in Gazette of India dated 1st January, 2018.

(3) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Fast Track Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Fourth Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. IBBI/2017-18/GN/REG/23 in Gazette of India dated 1st January, 2018.

(4) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. IBBI/2017-18/GN/REG/24 in Gazette of India dated 6th February, 2018.

(5) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Fast Track Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. IBBI/2017-18/GN/REG/025 in Gazette of India dated 7th February, 2018.

(6) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and Members) Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.153(E) in Gazette of India dated 9th February, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 8983/16/18]

---

12 04 ½ hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) (a) Status of implementation of the recommendations contained in the 3rd Report of the Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2014-15), pertaining to the Ministry of Panchayati Raj*

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषोतम रूपाला): महोदया, मैं श्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी की ओर से निम्नलिखित वक्तव्य सदन के पटल पर रखता हूँ :-

पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

---

* Laid on the Table and also placed on Library, See No. LT 8984/16/18

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 24th Report of the Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2016-17), pertaining to the Ministry of Panchayati Raj*

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषोतम रूपाला): महोदया, मैं श्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी की ओर से निम्नलिखित वक्तव्य सदन के पटल पर रखता हूँ :-

पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

* Laid on the Table and also placed on Library, See No. LT 8985/16/18

(c) Status of implementation of the recommendations contained in the 34th Report of the Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Ministry of Panchayati Raj*

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषोतम रूपाला): महोदया, मैं श्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी की ओर से निम्नलिखित वक्तव्य सदन के पटल पर रखता हूँ :-

पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

---

* Laid on the Table and also placed on Library, See No. LT 8986/16/18

12 04 ¾ hrs

(ii) (a)Status of implementation of the recommendations contained in the 10th Report of the Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2014-15), pertaining to the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development*

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम कृपाल यादव): महोदया, मैं निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूँ :-

ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

* Laid on the Table and also placed on Library, See No. LT 8987/16/18

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 18th Report of the Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development*

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम कृपाल यादव): महोदया, मैं निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूँ :-

ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

---

* Laid on the Table and also placed on Library, See No. LT 8988/16/18

12 05 hrs

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Madam, with your permission, I rise to announce that Government Business during the remaining part of the Session will consist of:-

1. Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper: - (*it contains consideration and passing of (a) the Fugitive Economic Offenders Bill, 2018, (b) the Chit Funds (Amendment) Bill, 2018 and (c) the National Council for Teacher Education (Amendment) Bill, 2017.)*
2. Consideration and passing of the following Bills: -

    (i) The Dentists (Amendment) Bill, 2017.

    (ii) The Negotiable Instruments (Amendment0 Bill, 2017.

    (iii) The Public Premises (Eviction of Un-authorised Occupants) Amendment Bill, 2017.

    (iv) The Consumer Protection Bill, 2018.

    (v) The New Delhi International Arbitration Centre Bill, 2018.

    (vi) The National Sports University Bill, 2017.

    (vii) The Major Ports Authorities Bill, 2016.

(viii) The Right of Children to Free and Compulsory Education (Second Amendment) Bill, 2017.

(ix) The Representation of People (Amendment) Bill, 2017.

3. Consideration and passing of the Constitution (One Hundred and Twenty-Third Amendment) Bill, 2017, as passed by Lok Sabha, as reported by Select Committee of Rajya Sabha and as returned by Rajya Sabha with Amendments. *(…interruptions)*

HON. SPEAKER: Submissions may be laid on the Table of the House.

(…Interruptions)

श्री विद्युत वरण महतो (जमशेदपुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र के लोक महत्व के निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह के कार्य सूची में शामिल किया जाए:-

1. मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर में टाटा कम्पनी है जो शहर के बिल्कुल बीचों-बीच में स्थिति है। यह बड़ी कंपनी होने के कारण प्रतिदिन बड़ी-बड़ी हजारों गाड़ियों का आना-जाना लगा रहता है। इसमें कार्यरत कर्मचारियों की संख्या लगभग 40 से 50 हजार है, जिसके कारण शहर में जगह-जगह पर ट्रैफिक जाम की समस्या लगा रहता है और प्रतिवर्ष औषतन 400 दुर्घटनायें होती हैं, जिसमें 300 लोगों की मौत होती है। पूरे टाटा शहर में एक भी फ्लाईओवर नहीं होने के कारण आम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हैं। जबकी वहाँ के लोगों की यह माँग वर्षों पुरानी है।

2. चांडिल, बडाम, पटमदा, वॉधवान वाया झाडग्राम तक लगभग 12 करोड़ रुपये के लागत से रेलवे लाइन निर्माण का सर्वे हो चुका है, लेकिन कार्य शुरू नहीं हो पाया है। इसके साथ-साथ चाकुलिया, बहरागोडा, बुडामारा उडिसा तक का सर्वे 10 वर्ष पूर्व हो चुका है, लेकिन अभी तक इस

नई रेलवे लाइन का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। वर्षों से लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। टाटा से बादाम पहाड़ होते हुए क्योमझर तक डबल लाइन बनाया जाए।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): माननीय अध्यक्ष जी निम्न लोक महत्व के विषयों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल कराने की कृपा करें।

1. मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत मंदाकिनी नदी का जल स्तर काफी कम हो गया है। कर्वी के आगे बनकट के पास से ही उसमें जल बिल्कुल नहीं रह गया है। जिसके आस-पास के महुवा गाँव तक के सैकड़ों गाँवों में लोगों व पशुओं के लिए जल संकट खड़ा हो गया है। अस्तु इस सदन में चर्चा कराकर निदान के उपाय किए जाँए।
2. मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बाँदा एवं चित्रकूट के जिला अस्पतालों व पी.एस.सी. व ग्रामीण अस्पतालों में डाक्टरों एवं तकनीशियनों के अधिकतर पद खाली पड़े हैं। अस्तु लोगों को चिकित्सा के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अस्तु सभी पदों की यथाशीघ्र पूर्ति करने हेतु इस विषय को सदन में चर्चा कराकर शीघ्र पदों को भरने हेतु निर्देश देने की कृपा करें।

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा): महोदया, अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषय को शामिल किया जाए:

1. उत्तर गुजरात के मेहसाणा और पालनपुर रेलवे स्टेशनों से सूरत और मुंबई के लिए समर स्पेशल ट्रेन वीकली का प्रावधान पैसेंजरों के लिए किया जाए।
2. दिव्यांग जनों को बीएसएनएल कनेक्शन से लाभान्वित करने के लिए रेंट फ्री कनेक्शन के जो प्रावधान किए हैं, उसका प्रचार-प्रसार व्यापक तौर पर हो और सीनियर सिटीजनों को बीएसएनएल कनेक्शल के तहत सिर्फ 500 रुपये में कनेक्शन मिलता है, उसका भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): माननीय अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की लोक सभा की कार्यवाही के दौरान मेरे निम्नलिखित एजेंडों को शामिल करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाए।

1 मेरा संसदीय क्षेत्र शिवहर एक अत्यंत पिछड़ा एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ सड़क, दूरसंचार सुविधा एवं परिवहन का अभाव है। सरकार ने नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में जन-सुविधा के लिए वित्तीय सहायता दी है, जिनमें शिवहर को अभी तक कोई सहायता नहीं दी गई है।

अनुरोध पूर्वक कहना है कि सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मोतिहारी से सोनवर्षा भाया ढ़ाका-भंडार-खोड़ीपाकड़-अदौरी- बसंतपट्टी-सीतामढ़ी होते हुए एक नया एन.एच. निर्माण कराए जाने का कार्य।

2 मेरे संसदीय क्षेत्रान्तर्गत पूर्वी चम्पारण जिला का फेनहारा प्रखण्ड काफी पिछड़ा हुआ इलाका है। इसके ककरहिया नाला पर पुल का निर्माण हो जाने से फेनहारा एवं पकड़ीदयाल प्रखण्ड के लोगों का आवागमन आसान हो जाएगा। फेनहारा प्रखण्ड में ककरहिया नाला पर नया पुल निर्माण कराए जाने का कार्य।

श्री राम टहल चौधरी (राँची): अध्यक्ष महोदया, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत राँची गेतलसूद डैम एवं इसके दूसरे भाग रुका डैम के आस-पास का क्षेत्र बड़ा ही रमणीय और सुन्दरता से भरपूर है। यहां पर स्थानीय लोग और झारखण्ड से और विदेशी पर्यटक हजारों की संख्या में आते हैं। इस क्षेत्र में पर्यटन संबंधी सुविधाएं दिलवाने हेतु गेतलसूद डैम एवं इसके दूसरे भाग रुका डैम के आस-पास क्षेत्रों को केन्द्र स्तर पर पर्यटन स्थल स्थापित करने का कार्य करने हेतु।

2. मेरे संसदीय क्षेत्र राँची में पिछले वर्ष 16 दिसंबर, 2016 को सुबह 03 बजे से 05 बजे के बीच मेरे संसदीय क्षेत्र राँची के बूटी बस्ती की रहने वाली एवं आरटीसी इंजिनियरिंग कालेज की बीटेक छात्रा सुश्री जया भारती के साथ गैंग रेप एवं उसके बाद उसको जला दिया गया था। यह

घटना दिल्ली के निर्भया हत्या कांड की याद दिलाती है। इसकी पूरे झारखण्ड में तीव्र भर्त्सना की गई है। पुलिस विभाग एक साल के बाद भी हत्यारों को नहीं पकड़ सकी है। इस गैंग रेप एवं हत्या में पुलिस की नाकामयाबी और उनकी असफल भूमिका एवं प्रभावशाली जाँच का कार्य करने हेतु।

धन्यवाद

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): महोदया, लोकसभा के आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जायें:-

1. देश के किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत ही दयनीय होती जा रही है। किसान कर्ज के बोझ में डूबे हुए हैं। क्योंकि उनको फसल से उतनी आमदनी नहीं होती, जितनी उनकी लागत लगती है। जब फसल तैयार होता है , तो रेट आधे हो जाते हैं और लेने वाला कोई नहीं होता। एम.एस.पी. तो सिर्फ कागजी सूचना बनकर रह गई है। शादी-ब्याह, खेती के औजार, ट्रैक्टर आदि खरीद के लिए उन्हें अपने खेतों को गिरवी रखना पड़ता है। अत: सरकार किसानों को विशेष योजना के तहत पूर्ण कर्ज माफ करे और ब्याज-मुक्त ऋण देने का भी प्रावधान करे। साथ ही विशेषकर छोटे और मझोले किसान, जो साहूकारों के कर्ज के बोझ तले दबे हैं, उन्हें भी आर्थिक मदद दिया जाये।
2. पूरे देश में खेती पर आधारित कृषि-श्रमिकों की दशा बहुत ही खराब है। इनकी संख्या देश् भर में 55 से 58 प्रतिशत है। वैसे ही हमारी खेती मौसम पर आधारित है, जिससे कृषि-श्रमिकों को बराबर रोजगार नहीं मिलता है। विशेषकर महिला कृषि-श्रमिक की स्थिति बहुत ही दयनीय है। उनके छोटे-छोटे बच्चे बिलखते रहते हैं। कुछ मदद मनरेगा से हो जाया करता था, परंतु अब तो मनरेगा भी सुचारू रूप से नहीं चलता है। क्योंकि सरकार पूरा फण्ड ही नहीं दे रही है। बिहार जैसे गरीब राज्यों की स्थिति तो और ही

खराब है। अत: केन्द्र सरकार कृषि-श्रमिकों को पेंशन के तर्ज पर मासिक-भत्ता देने की योजना बनाकर उनके परिवार के निर्वहन की व्यवस्था करे।

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के लोक महत्व के निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए :

1. मेरे संसदीय क्षेत्र पलामू के जिला मुख्यालय डालटनगंज का नाम बदलकर मेदिनीनगर सन् 2004 में ही कर दिया गया है, जबकि रेलवे स्टेशन का नाम अभी तक डालटनगंज ही है। इसे मेदिनीनगर रेलवे स्टेशन किया जाए।
2. मेरे संसदीय क्षेत्र पलामू के अंतर्गत संचार व्यवस्था की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। पलामू संसदीय क्षेत्र के दोनों जिले यथा पलामू एवं गढ़वा नक्सल प्रभावित जिले हैं, तथापि दूरसंचार की व्यवस्था संतोषप्रद नहीं है। वहां मोबाइल टावर्स की संख्या अत्यंत कम है, इसे बढ़ाने की कृपा की जाए।

श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर): महोदया, अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषय को शामिल किया जाए:

1. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना वर्तमान में अनुसूचित जाति समुदाय 50 प्रतिशत जनसंख्या वाले गांवों में दी जा रही है। जो इन वर्गों के विकास के लिए बहुत ही लाभकारी और फायदेमंद है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि आने वाले समय में इसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) एवं पिछड़े वर्ग बाहुल्य निवास करने वाले गांवों को भी शामिल कर विकसित करने के लिए भी योजना बनाई जाए।
2. कृषि विज्ञान केन्द्र छत्तीसगढ़ राज्य सात कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने की मांग राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसकी स्वीकृति कि अपेक्षा है। मैं अपने गृह जिला मुंगेली

सहित छत्तीसगढ़ में सभी सात नए कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की मांग करता हूं, जिससे किसानों को लाभान्वित किया जाए।

DR. KARAN SINGH YADAV (ALWAR): The following topics be included for discussions in the list of business of next week:-

1. Need to start ESI Medical College and Hospital in newly constructed buildings at Alwar.
2. Need to bring Chambal waters to Alwar District of Rajasthan.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): महोदया, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में लोक महत्व के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने की कृपा की जाए।

1. वर्ष 2011 में हुए सामाजिक-आर्थिक-जातिगत जनगणना (सेक) की आधार मानकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अत्यंत निम्न वर्ग के लोगों की सूची तैयार की गई है जिसके अनुसार लोगों की राशन कार्ड, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत एलजीपी गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास, चिकित्सा अनुदान, वृद्धा एवं विधवा पेंशन सहित केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है।
2. वर्ष 2011 में हुए सामाजिक-आर्थिक-जातिगत जनगणना (सेक) की सूची में कई विसंगतियां भी पाई गयी है। जो वास्तव में गरीब एवं निम्न वर्ग से हैं वैसे लोगों का नाम सूची में नहीं है जिसके कारण सैसे लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही जनगणना के बीते 7 वर्षों में बीपीएल श्रेणी में कई नए परिवार भी जुड़े हैं उन्हें भी यह लाभ नहीं मिल पा रहा है।

12 06 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE ...Contd.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SHIV PRATAP SHUKLA) : Madam, on behalf of Shri Arun Jaitley, I rise to lay on the Table a copy of the Notification No. 32/2018-Customs (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 23rd March, 2018, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 50/2017-Customs dated 30th June, 2017 so as to reduce basic customs duty (BCD) from 10 per cent to 5 per cent on Open Cell (15.6” and above) of LCD/LED TV panels under Section 159 of the Customs Act, 1962.

[Placed in Library, See No. LT 8983 A/16/18]

… (Interruptions)

HON. SPEAKER: Hon. Members, please go back to your seats.

… (Interruptions)

12 07 hrs

OBSERVATION BY THE SPEAKER

Notices of Motion of No Confidence

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have received notices of Motion of No Confidence in the Council of Ministers from Sarvashri Y.V. Subba Reddy and Thota Narasimham. I am duty-bound to bring the notices before the House. Unless the House is in order I will not be in a position to count the 50 Members who have to stand in their assigned places so that I can ascertain as to whether the leave has been granted or not. Therefore, I request all of you to go back to your seats.

(…Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : अगर नो-कान्फिडेंस के लिए आप फेवर भी कर रहे हो, तो आप सब अपनी जगह पर शान्ति से बैठिए।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I want to take it up. Even hon. Members sitting on my right side are ready to have discussion. If all of you agree, then only I can do this. You all may please cooperate. So, I would like to request you to go back to your seats. It cannot happen like this. Since the House is not in order, I will not be able to bring the notices before the House. I am sorry.

(…Interruptions)

12 08 hrs

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER

Cancellation of Sitting of the House

HON. SPEAKER: I have to make one announcement. Many hon. Members have requested me that there is Ram Navmi on 25th of March 2018 and because of that a number of programmes have been organised and the hon. Members will have to attend those programmes. So, many hon. Members have requested me for declaring 26th of March as a holiday. I am accepting their request.

(…Interruptions)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again on Tuesday, the 27th March, 2018 at 11 A.M.

12 09 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Tuesday, March 27, 2018/Chaitra 6, 1940 (Saka).